अध्याय-III

अधिग्रहित भूमि में अवस्थापना का विकास

अध्याय-III

अधिग्रहित भूमि में अवस्थापना का विकास

अध्याय में यूपीसीडा द्वारा अधिग्रहित भूमि को औद्योगिक और अन्य उपयोगों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए अवस्थापना विकास के लिए संचालित की गयी गतिविधियों पर चर्चा की गयी है। मुख्य प्रकरणों में, भूमि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त न करना, कार्य करने के लिए बोलीदाताओं की क्षमता का आकलन न करना, यूपीपीडब्ल्यूडी के यथा लागू उपयुक्त परिसमापन क्षति प्रावधानों को न अपनाकर यूपीसीडा के हितो की रक्षा न करना तथा ठेकेदार से अप्रयुक्त कोष पर ब्याज वसूल न करके इसे राजकीय कोष में जमा नहीं करना, सम्मिलित है।

प्रस्तावना

3.1 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में उद्योगो के लिए गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सक्षम और लचीली अवस्थापना की उपलब्धता औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। यह न केवल व्यवसायों की परिचालन लागत को कम करता है बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्संतुलित करके, उच्च विकास और जीवन स्तर की ओर ले जाता है। इस उद्देश्य हेतु, यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी सहित) भूमि अधिग्रहण के बाद, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, विद्युत आपूर्ति सुविधाएं, जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं आदि का निर्माण करके इसे विकसित करता है। अग्रेतर, यह विद्यमान आईए के रखरखाव और उन्नयन का कार्य भी करता है। निर्माण खण्डों (सीडी) द्वारा विकास/रखरखाव के कार्य किए जाते हैं। सीडी, आईए की अवस्थापना के विकास कार्य को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए कार्य मैनुअल (डब्लूएमडीएमआईए) के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करके निष्पादित करते हैं। डब्लूएमडीएमआईए में शामिल न किए गए गतिविधियों/मानदण्डों की दशा में, यूपीपीडब्ल्यूडी/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)/भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के मानदण्ड[1] के अनुसार इसका पालन किया जाना था। यूपीसीडा के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को 15 निर्माण खण्ड (4 विद्युत खण्डों सहित) थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2 पाँच नमूना सीडी[2] में ₹ 640.70 करोड़ मूल्य के 113 अनुबंध बांड (₹ 1,995.60 करोड़ मूल्य के कुल 440 अनुबंध बांडों मे से) विस्तृत परीक्षण के लिए चयनित किये गए। चयनित 113 अनुबंध बांडों में से 11 अनुबंधों[3] के

---

[1] डब्लूएमडीएमआईए की प्राक्कथन के अनुसार।

[2] सीडी-7 लखनऊ, सीडी-8 कानपुर, सीडी-9 प्रयागराज, सीडी-टीजीसी उन्नाव और ईडी-01 कानपुर।

[3] उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि तत्कालीन मुख्य अभियंता के स्तर पर बार-बार कार्यभार स्थानांतरित होने के कारण विनिर्दिष्ट पत्रावली और अभिलेख सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। अवस्थापना विकास से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामो पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

भूमि विकास लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना

3.2.1 वर्ष 2017-18 से 2022-2023 तक की अवधि के लिए भूमि विकास की स्थिति (लक्ष्य एवं उपलब्धि) **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: भूमि विकास के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (एकड़ में)	उपलब्धि (एकड़ में)	कमी (एकड़ में)	कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3-4)	(6)
1	2017-18	1,138	335.49	802.51	70.52
2	2018-19	1,535	112.00	1,423.00	92.70
3	2019-20	1,380	273.50	1,106.50	80.18
4	2020-21	1,500	1,130.00	370.00	24.67
5	2021-22	1,750	734.00	1,016.00	58.06
6	2022-23	750	378.26	371.74	49.56

स्रोत: बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि यूपीसीडा 2017-18 से 2022-23 तक के छः वर्षों में से किसी भी वर्ष भूमि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 24.67 प्रतिशत से 92.70 प्रतिशत के मध्य रही। लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार विफलता यह दर्शाती है कि यूपीसीडा द्वारा भूमि विकास के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यूपीएसआईडीसी बोर्ड ने अपनी 299वीं बैठक (अप्रैल 2018) में औद्योगीकरण के लिए उपयोग में न लाए गए लगभग 10 वर्षों से रिक्त भूखण्डों के विषय में चिंता व्यक्त की थी और प्रबंधन को इसके कारणों का अध्ययन करने तथा आगामी बोर्ड बैठक में अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता को इंगित करते हुए अंतर के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। प्रबंधन ने बोर्ड के समक्ष ऐसा कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने सूचित किया कि कोविड-19 और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करने के कारण भूमि विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि आंशिक उपलब्धि, ग्रामीणों का विरोध, जिला प्रशासनों द्वारा भूमि पर कब्जा न दिया जाना, भूमि अधिग्रहण एवं अभियंत्रण स्टाफ की भारी कमी और वर्ष 2020 के बाद से कोविड के प्रभाव, के कारण हुई।

उ.प्र. सरकार/यूपीसीडा ने आईए में अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता के विषय में यूपीएसआईडीसी बोर्ड की 299वीं बैठक में दिए गए निर्देश के बावजूद बोर्ड को अवगत न कराने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की।

बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन में अनियमितताएं

3.2.2 डब्लूएमडीएमआईए[4] के प्रस्तर 20.8.6 के अनुसार, निविदा प्रपत्रों को अनुमोदन हेतु निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी गहन जाँच की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआईडीसी ने आईए के विकास हेतु सितम्बर 2015 से जुलाई 2016 के मध्य, मैसर्स बालाजी बिल्डर्स को उनके अनुभव प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के बिना, दो चयनित निर्माण खण्डो[5] के ₹ 143.22 करोड़ मूल्य के 13 अनुबंध[6] प्रदान किये। बाद में, ये प्रमाण-पत्र संदिग्ध रूप से फर्जी पाए गए (जून 2017) जिसके परिणामस्वरूप प्रदान किये गये अनुबंध निरस्त (जुलाई 2017) कर दिए गए।

इसी प्रकार, यूपीएसआईडीसी ने जनवरी 2017 में मैसर्स आकाश इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स को उनके अनुभव प्रमाण पत्र और सावधि जमा प्राप्ति (एफडीआर) के सत्यापन के बिना, दो चयनित निर्माण खण्डो[7] के ₹ 112.53 करोड़ मूल्य के दो अनुबंध[8] प्रदान किये। बाद में, ये प्रमाण पत्र संदिग्ध रूप से फर्जी पाए गए (दिसम्बर 2017) जिसके परिणामस्वरूप प्रदान किये गये अनुबंध निरस्त (जनवरी 2018) कर दिए गए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि मैसर्स बालाजी बिल्डर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गयी है। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि मैसर्स बालाजी बिल्डर्स के अनुबंध निरस्त कर दिये गये हैं, सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। ₹ 1,265.46 लाख में से ₹ 139.28 लाख की वसूली की गई तथा शेष धनराशि की वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है। मैसर्स आकाश इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स के दोनों अनुबंध निरस्त कर दिये गये हैं।

प्रबंधन ने उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के समर्थन में एग्जिट कॉन्फ्रेंस में अनुरोध किए गए अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए।

संस्तुति संख्या 3

यूपीसीडा को संदिग्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध प्रदान किए जाने से बचने के लिए बोली से सम्बन्धित दस्तावेजों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलो में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

---

[4] यहाँ निर्धारित निर्देशों के अनुरूप, निविदा प्रपत्रों को निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व गहन जाँच की जाएगी।

[5] सीडी ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव और सीडी-9 प्रयागराज।

[6] ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के दो नमूना अनुबंध बांड सम्मिलित है।

[7] सीडी ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव और सीडी-9 प्रयागराज।

[8] ₹ 63.41 करोड़ मूल्य का एक नमूना अनुबंध बांड सम्मिलित है।

बोली लगाने की क्षमता का आकलन नहीं किया गया

3.2.3 यूपीपीडब्ल्यूडी के मॉडल बिडिंग डाक्यूमेंट (एमबीडी) 2007 के प्रस्तर 4.6 में यह प्रावधान है कि ₹ 40 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए, बोलीदाता जो न्यूनतम योग्यता मानदण्ड को पूरा करते हो, तभी योग्य माने जाएंगे यदि निर्माण कार्य के लिए उनकी उपलब्ध बोली क्षमता[9] कुल बोली मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदारों को 27 अनुबंध बांड, जिनका मूल्य ₹ 1.01 करोड़ से ₹ 63.41 करोड़ के मध्य थी, उनकी बोली क्षमता का आकलन किए बिना प्रदान किये गए। इन 27 कार्यों[10] में से, 11 कार्य 61 से 2,612 दिनों के विलम्ब से पूर्ण हुए तथा 14 कार्य जो मार्च 2024 तक अपूर्ण थे, उनमें 648 से 2,678 दिनों का विलम्ब था, जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में वर्णित है।

यूपीएसआईडीसी ने अपनी 298वीं बोर्ड बैठक (जनवरी 2018) में स्वीकार किया कि कम क्षमता वाले ठेकेदारों को उच्च मूल्य के कार्य दिए जाने के कारण कार्य ठीक से क्रियान्वित नहीं हो सके।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2023) कि उसने यूपीपीडब्ल्यूडी के एमबीडी 2007 के प्रावधानों को अंगीकृत नहीं किया था और जैसा कि डब्ल्यूएमडीएमआईए में प्रावधानित था, पूर्व-योग्यता की जाँच के आधार पर कार्यों को प्रदान किया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि उसने उच्च मूल्य के अनुबंधों के मामले में बोली लगाने की क्षमता का आकलन करने की प्रथा प्रारम्भ कर दी है और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड के माध्यम से निष्पादित दो कार्यों में ठेकेदारों की बोली लगाने की क्षमता का आकलन किया गया है। तथापि, डब्ल्यूएमडीएमआईए में बोलीदाताओं की बोली लगाने की क्षमता का आकलन करने का कोई प्रावधान नहीं था।

उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीसीडा को छोटे वर्ग के कार्यों के लिए बोलियाँ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और कड़े बोली क्षमता मानदण्ड लागू करने से ये चुनौतियाँ और बढ़ सकती थी। तथापि, बड़ी मात्रा के कार्यों (जैसे ईपीसी) के लिए, यूपीसीडा ने बोली क्षमता का आकलन

---

[9] मूल्यांकित उपलब्ध बोली क्षमता = (ए x एन x एम - बी) जहाँ ए = पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित सिविलअभियंत्रण कार्यों का अधिकतम मूल्य (पिछले वर्ष के मूल्य स्तर पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अद्यतन) जिसमें पूर्ण हो चुके और प्रगति पर चल रहे कार्यों को ध्यान में रखा गया हो । एन = कार्यों के पूर्ण होने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं (6 माह तक की अवधि को अर्द्ध वर्ष और छह माह से अधिक को एक वर्ष माना जाता है)। एम = एम को 2.5 माना जाता है, बी = विद्यमान प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों का वर्तमान मूल्य स्तर पर मूल्य, जिनको उन कार्यों के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, उनके पूर्ण होने की अवधि के दौरान पूर्ण किया जाना है।

[10] दो कार्य निरस्त कर दिए गए।

करने की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। छोटे कार्यों के लिए भविष्य में उचित कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएमडीएमआईए में प्रावधानित पूर्व-योग्यता के लिए निर्धारित मानदण्ड, बोलीदाता के समान प्रकृति के कार्य को निष्पादित करने के अनुभव का आकलन करते हैं, न कि उपलब्ध बोली क्षमता का। अग्रेतर, डब्लूएमडीएमआईए में यह प्रावधान है कि उसमें समाहित न किये गये गतिविधियों/मानदण्डों की दशा में, इसका पालन यूपीपीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी/ मोर्थ के मानदण्डों[11] के अनुसार किया जाना था।

संस्तुति संख्या 4

यूपीसीडा को कार्य को प्रभावी रूप से करने में अक्षम बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान करने से बचने हेतु बोलीदाताओं की बोली क्षमता का आकलन सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयुक्त परिसमापन क्षति प्रावधानों को अंगीकृत नहीं किया गया

3.2.4 यूपीपीडब्ल्यूडी के मॉडल बिडिंग डाक्यूमेंट (एमबीडी) 2007 के अनुबंध की सामान्य शर्त (जीसीसी) ₹ 40 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए, कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए प्रति सप्ताह प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत की दर से परिसमापन क्षति (एलडी), अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी विनिर्दिष्ट करती है। डब्ल्यूएमडीएमआईए में एलडी का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे मामले में, यूपीएसआईडीसी/यूपीसीडा पर यूपीपीडब्ल्यूडी के प्रावधान लागू होते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी सहित) ठेकेदारों के साथ निष्पादित अनुबंध बांड में यूपीपीडब्ल्यूडी प्रावधानों की तुलना में उदार[12] एलडी क्लॉज लाया। इसके कारण, यूपीसीडा अनुबंध बांड मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के स्थान पर मात्र एक प्रतिशत रोक सकता था। जैसा कि **परिशिष्ट-3.2** में वर्णित है और 486 दिनों से लेकर 2,678 दिनों के विलम्ब वाले 16 मामलों में यूपीसीडा ने ठेकेदारों के बिलों से ₹ 15.02 करोड़[13] के स्थान पर ₹ 1.31 करोड़ की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.71 करोड़ की विलम्ब शास्ति की कम कटौती हुई।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा के सुझाव पर समय विलम्ब शास्ति एक प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सभी नये कार्यों के लिए 19 जुलाई 2023 से विलम्ब शास्ति 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। पुराने कार्यों के लिए, कुछ भी करना संभव नहीं था, लेकिन भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

---

[11] डब्लूएमडीएमआईए की प्राक्कथन के अनुसार।

[12] अधिकतम एलडी अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत।

[13] निष्पादित कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया।

तथ्य यथावत है कि यूपीसीडा के हितों की रक्षा हेतु उचित एलडी शास्ति प्रावधान अनुबंध बांड में समाहित नहीं था, जिसके परिणामस्वरुप विलम्ब शास्ति की कम कटौती हुई।

ठेकेदारों से गुणवत्ता निरीक्षण शुल्क वसूल नहीं किया गया

3.2.5 यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी सहित) और ठेकेदारों के मध्य निष्पादित अनुबंधों की सामान्य शर्तों के अनुसार, गुणवत्ता परीक्षण का व्यय ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 34 कार्यों के मामलो में, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में वर्णित है, यूपीसीडा ने, यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी और ठेकेदारों के बीच निष्पादित अनुबंधों की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों के बिलों से गुणवत्ता परीक्षणों की लागत ₹ 1.63 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुचाया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि ठेकेदारों के अंतिम बिल से गुणवत्ता परीक्षण शुल्क की वसूली के लिए कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया था। उ.प्र. सरकार ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर को पुनःदोहराया (जुलाई 2024)।

संस्तुति संख्या 5

यूपीसीडा को अपने हितों की रक्षा के लिए ठेकेदारों के बिलों से उपयुक्त दरों पर विलम्ब एलडी को बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, यूपीसीडा को एकमत नियमों एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार से गुणवत्ता निरीक्षण शुल्क वसूलना चाहिए।

अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज वसूल नहीं किया गया

3.2.6 उ.प्र. सरकार ने कन्नौज में परफ्यूम पार्क के निर्माण के लिए यूपीएसआईडीसी को ₹ 25 करोड़ अवमुक्त किए (मार्च 2016)। यूपीएसआईडीसी ने परफ्यूम पार्क और संग्रहालय[14] के निर्माण को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) के माध्यम से जमा कार्य के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2016) और यूपीआरएनएन को ₹ 26 करोड़ अवमुक्त किए, जबकि, उ.प्र. सरकार ने केवल ₹ 25 करोड़ अवमुक्त किये थे। यह कार्य यूपीएसआईडीसी द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा विकसित अवधारणा योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, यूपीएसआईडीसी बोर्ड ने प्रथम चरण में परफ्यूम पार्क और संग्रहालय को 30 एकड़ भूमि के स्थान 50 एकड़ भूमि पर विकसित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। तदनुसार, यूपीएसआईडीसी ने यूपीआरएनएन से, अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लम्बित रहने तक, अवमुक्त की गयी ₹ 26 करोड़ की राशि को वापस करने का अनुरोध

[14] परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम से नाम परिवर्तित कर (29 जनवरी 2018) "इत्र पार्क एवं संग्रहालय" कर दिया गया।

किया (जनवरी 2018)। यूपीआरएनएन ने यूपीएसआईडीसी को पहले से व्यय किये गये ₹ 24.75 लाख की कटौती के बाद ₹ 25.75 करोड़ वापस किये (जुलाई 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआईडीसी ने, उ.प्र. सरकार के निर्देशों[15] का उल्लंघन करते हुए, यूपीआरएनएन से जनवरी 2017 से जून 2018 तक की अवधि के मध्य इसके पास अप्रयुक्त पड़े ₹ 25.75 करोड़ पर अर्जित ₹ 1.48 करोड़ ब्याज की धनराशि वसूल नहीं की।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान यूपीसीडा ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि यूपीआरएनएन से ब्याज की धनराशि वसूलने के प्रयास किए गए थे। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीआरएनएन को ब्याज धनराशि अवमुक्त करने के लिए पत्र जारी किए गए थे।

नगर निकायों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के रखरखाव पर परिहार्य व्यय

3.2.7 उ.प्र. सरकार ने, यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) के 35 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों को रखरखाव के लिए सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तांतरित किया (दिसम्बर 2001)। यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) ने इन 35 आईए का रखरखाव अपने स्वयं के कोष से तथा आवंटियों से रखरखाव शुल्क आरोपित करना समाप्त कर दिया (अप्रैल 2009)।

यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी सहित) ने अपने ऑपरेटिंग मैनुअल (औद्योगिक क्षेत्र) 2011 के क्लॉज 8.02 में नगर निकायों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में रखरखाव/अवस्थापना कार्य न करने तथा उन क्षेत्रों में रखरखाव शुल्क आरोपित न करने का प्रावधान भी समाविष्ट किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा ने अपने ऑपरेटिंग मैनुअल और आदेशों का उल्लंघन करते हुए, वर्ष 2019-20 के दौरान उपर्युक्त 35 आईए में से 16 आईए के रखरखाव के मामले में अपने स्वयं के कोष से ₹ 7.67 करोड़ परिहार्य व्यय किया। इसने आवंटियों से ये शुल्क वसूल नहीं किया।

उपर्युक्त प्रकरण पर, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान किए गए व्यय के सम्बन्ध में, सीएजी के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में भी टिप्पणी की गयी थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने सूचित किया कि इनमें से कुछ हस्तांतरित आईए में नगर निकायों द्वारा रखरखाव कार्य न किए जाने के कारण उसे रखरखाव का कार्य करना पड़ा और व्यय करना पड़ा। उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा के उत्तर को अभिस्वीकृति प्रदान की।

---

[15] उ.प्र. सरकार के आदेश (29 मई 2015) में अन्य बातों के साथ-साथ यह नियत करता है कि आवंटित धनराशि पर बैंक जमा के माध्यम से अर्जित ब्याज सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उ.प्र. सरकार के आदेश और बोर्ड के निर्णय के अनुसार यूपीसीडा को नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के रखरखाव का कार्य स्वयं के कोष से करने की आवशयकता नहीं थी।

निष्कर्ष

यूपीसीडा भूमि विकास के स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त न कर सका जो यह इंगित करता है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे। यूपीसीडा को बोलीदाताओं को उनके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई अभी करनी थी। जहाँ बोलीदाताओं को उनकी बोली लगाने की क्षमता का आकलन किए बिना अनुबंध प्रदान किए गए थे उन मामलों में कार्य के निष्पादन में महत्वपूर्ण विलम्ब और अपूर्ण कार्य देखे गए। यूपीसीडा ने अपर्याप्त एलडी प्रावधानों के कारण ठेकेदारों के बिलों से ₹ 13.71 करोड़ की कम विलम्ब शास्ति धनराशि वसूली। यूपीआरएनएन से ₹ 1.48 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया। ठेकेदारों के बिलों से ₹ 1.63 करोड़ धनराशि की गुणवत्ता निरीक्षण शुल्क वसूल नहीं किया गया। यूपीसीडा द्वारा नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले आईए के रखरखाव में ₹ 7.67 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।